चेरियाबरियारपुर 90/2017
जी0 आर0 – 172/2017
राज्य बनाम् जागो देवी

07.08.2021 : अभियुक्तगण जागो देवी, मरनी देवी, गुड़िया देवी एवं डाबर साह उर्फ करण कुमार की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन नवीन शक्ति पत्र एवं सभी अभियुक्तगण की हाजिरी के साथ ऑनलाईन के माध्यम से न्यायालय में दाखिल किया गया है।

जमानत आवेदन की प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को प्राप्त कराया गया । वाद का पुकार हुआ। पुकार पर अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। जमानत आवेदन प्रचालित किया गया। जमानत के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है। इनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा अन्य वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया। आवेदक अभियुक्तगण पर लगाये गये सभी धाराएं जमानतीय हैं। आवेदक अभियुक्तगण एवं सूचक के बीच जमीनी विवाद के कारण अभियुक्तगण को फंसाया गया है। यह कि प्रार्थी अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा दं0 प्र0 सं0 की धारा – 41 (क) का पूर्व में लाभ दिया गया है। अभियुक्तगण की संज्ञानोंपरांत यह प्रथम उपस्थिति है। अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा मांगे गये रकम का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक चारों अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्तों के विरूद्व धारा – 447, 341, 379, 427 504, 506/34 भा0 दं0 वि0 के अतर्गत संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण का संज्ञानोंपरां यह प्रथम उपस्थिति है। धारा – 379 भा0 दं0 वि0 को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय हैं। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण जागो देवी, मरनी देवी, गुड़िया देवी एवं डाबर साह उर्फ करण कुमार को मो0 5000/– का एक राशि के प्रतिभू सहित का बंध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्या0 दां0 प्रथम श्रेणी
मंझौल, बेगूसराय

तत्पश्चात
07.08.2021 : अभियुक्तगण जागो देवी, मरनी देवी, गुड़िया देवी एवं डाबर साह उर्फ करण कुमार की ओर से मांगे गये रकम का बंध पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसे जांचोंपरांत सही पाकर ....किया जाता है तथ अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दां0 प्रथम श्रेणी
मंझौल, बेगूसराय